रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072025-264905 SG-DL-E-24072025-264905

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947 No. 208] DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 133 [N. C. T. D. No. 133

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशाल

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2025

फा.सं. डीई /04/09/74/ मर्ती नियम (पुस्तकालय सहायक) /ई-IV/2022/171.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59 एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून 1960 की अधिसूचना संख्या फा0 26(49)/59—आर एवं एस के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पुस्तकालय सहायक के पद हेतु भर्ती पद्वित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, पुस्तकालय सहायक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए। (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रका"ान की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4754 DG/2025 (1)

4. अयोग्यता :--वह व्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पुस्तकालय सहायक के पद हेतु भर्ती नियमावली

	नुराकाराच राहाचक के वर हेतु वर्ता । विवायका				
1.	पदनाम	:	पुस्तकालय सहायक		
2.	पदों की संख्या	:	400* (2024)		
			* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर		
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय		
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—03 (21700—69100 / — रुपये)		
5.	क्या चयन पद है / गैर चयन पद	:	लागू नहीं		
			.t. 16) O		
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु	:	18-25* वर्षों के बीच		
	सीमा				
			(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।)		
			जनादवारा के लिए कपरा जायु सामा 40 वर्ष तक स्थावलगाव <i>।)</i>		
			टीप :– आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा		
			यथाविज्ञापित होगी।		
			*यदि पद को अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा भरा जा रहा है, तो आयु		
			सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।		
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित	:	अनिवार्यः		
	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं		i. सीनियर सैकेंडरी अथवा राज्य बोर्ड / केन्द्रीय		
			बोर्ड / विश्वविद्यालय / सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित		
			समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।		
			ii. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एक		
			वर्षीय प्रमाण-पत्र / एक वर्षीय डिप्लोमा		
			टीप : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के		
		-	विवेक पर शिथिलनीय है।		
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	लागू नहीं		
	निर्घारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू				
	- पदान्नात पाल ठन्नादपारा पर मा लागू - होगी				
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष।		
<u> </u>					

			टीपः— सीधी भर्ती वाले को परिवीक्षा पूर्ण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अविध का प्रेरक प्रशिक्षण अनिर्वाय रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
10.	भर्ती की पद्धति, सीघी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		सीधी भर्ती द्वारा —100 प्रतिशत टीप:— पदधारी के एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णताया या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अधीन हुई रिक्तियों को मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखते हो।(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी)।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाना है		लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	-	समूह ग विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. निदेशक (शिक्षा) — अध्यक्ष 2. निदेशक / अपर निदेशक (समाज कल्याण)— सदस्य 3. उप—सचिव (सा0प्र0वि०)— सदस्य टीप :— यदि अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का विरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

पाटील प्रांजल लोहनसिंह, आईएएस, अतिरिक्त निदेशक शिक्षा

DIRECTORATE OF EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2025

F.No. DE/04/09/74/RR(Library Assistant)/E-IV/2022/171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him(I) dated the 13thJuly 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Assistant in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely –

- 1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Directorate of Education, Library Assistant Recruitment Rules, 2025. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and scale of pay** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns(2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications** No persons,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribe, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule Recruitment Rules for the post of Library Assistant under the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post/ Non Selection post
1	2	3	4	5
Library Assistant	400* (2024) * subject to variation dependent on workload	Service, Group "c",	/ *	Not application

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any
6.	7.	8.	9.
Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordances with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. * In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.	Essential: (i) Passed Senior Secondary of equivalent examination conducted by State Board/ Central Board University/ Govt. recognized institute (ii) One year certificate/ One year diploma in Library and information Science from a recognized institute. Note: - Qualification are relaxable at the discreation of Competent Authority in case of candidates otherwise we qualified.	d/ . ar on at ty	Two years for direct recruits. Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for completion of probation.
Method of recruitment, who direct recruitment or by proof or by deputation/ absorp percentage of vacancies to by various methods.)	omotion by contion & promotion/deputation/	f a Departmental Promotommittee exists, what is omposition.	

10.	11.	12.	13.
Direct recruitment – 100 % Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/UTs holding analogous post on regular basis in the parent cadre/	Not applicable	Group C Departmental Confirmation Committee: 1.Director (Education) – Chairperson 2. Spl. Director/Addl.Director (Social Welfare) – Member 3. Dy. Secretary (GAD) – Member Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering	Consultation with UPSC is not
department and possessing the education qualification prescribed for direct recuits under coulumn 7.		confirmation shall act as Chairperson in case the notified charperson of the Committee happens to be junior to another	
(The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.)		member of the committee.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, PATIL PRANJAL LAHENSINGH, IAS, Additional Director of Education